



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त
सरकारी प्रतिवेदन

15 फरवरी, 2024

सप्तदश विधान सभा

एकादश सत्र

वृहस्पतिवार, तिथि 15 फरवरी, 2024 ई०

26 माघ, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

उपाध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, परंपरा अनुसार यह घोषणा की जाती है:-

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सदन नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है । साथ ही, माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, अब अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है । सभा सचिव महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को पढ़ेंगे ।

अध्यक्ष का निर्वाचन

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को मैं पढ़ता हूँ:-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का राज्यपाल इसके द्वारा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु 15 फरवरी, 2024 की तिथि निर्धारित करता हूँ ।”

पटना,

दिनांक 12.02.2024

ह०/-राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर

राज्यपाल, बिहार ।”

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में जो प्रावधान है, जो मत विभाजन की प्रक्रिया है उसे सभा सचिव पढ़कर सुनायेंगे । सभा सचिव ।

सभा सचिव : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 9 जो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है वह इस प्रकार है :-

“नियम- 9 के उप नियम-1: अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर सदस्य को भेजेंगे ।”

“उप नियम-2: इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन मध्याह्न के पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को सम्बोधित करते हुए इस आशय के

प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य अध्यक्ष चुने जायें। यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिन सदस्य का नाम प्रस्तावित हो उनका यह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में काम करने को राजी हैं परंतु कोई सदस्य न तो अपना नाम प्रस्थापित करेंगे, न अपना नाम प्रस्थापित करने वाले किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्थापना या अनुमोदन करेंगे।”

“उप नियम-3: जिन सदस्य के नाम पर कार्यसूची में कोई प्रस्ताव हो, वे पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य मात्र तक अपने को सीमित रखेंगे परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिये जाने के पहले किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे।”

“उप नियम-4: इस प्रकार किये गये हैं और यथावत् अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किये गये हों, उसी क्रम से एक-एक करके मत के लिए रखे जायेंगे और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यासी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिये गए। अब नियम 56 को पढ़ता हूँ जो विभाजन के संबंध में है।

विभाजन की प्रक्रिया “नियम 56 का उप नियम (1) किसी प्रस्ताव पर वाद-विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे कि जो प्रस्ताव के पक्ष में हों वे “हाँ” कहें और जो प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे “ना” कहें। तब अध्यक्ष यह घोषित करेंगे कि उनकी राय में “हाँ” के पक्ष में बहुमत है या “ना” के पक्ष में।”

“उप नियम-2: किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे परन्तु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग न करेंगे, जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष द्वारा यथाघोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत न दिया हो।”

“उप नियम-3: विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष, यदि उनकी राय में विभाजन की मांग अनावश्यक न हो तो सचिव को तीन मिनट तक विभाजन की घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेश्यों से सभावेश्य आने के सभी द्वारा बंद कर दिये जाएंगे। जब तक विभाजन समाप्त न हो तब तक किन्हीं सदस्य को सभावेश्य के भीतर आने या उसके बाहर न जाने दिया जाएगा।”

“उप नियम-4: द्वार बन्द हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उप-नियम (2) में विहित रीति से फिर विभाजन की मांग की जाय तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष यह अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिये जायं । यथा सदस्यों को विभाजित होकर उपवेश्यों में जाने के लिए कहकर या मत गिनने के प्रयोजन से उन्हें अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहकर या अन्यथा किंतु दूसरी बार प्रश्न रखे जाने के समय जो सदस्य सदन में उपस्थित न रहे हों, वे मत देने के हकदार न होंगे । यदि अध्यक्ष “हाँ” पक्ष वालों और “ना” पक्ष वालों को उपवेश्यों में जाने का निर्देश दें तो वे हर पक्ष के लिए दो या दो से अधिक गणक नियुक्त कर सकेंगे ।”

“उप नियम-5: जो सदस्य यथास्थिति “हाँ” पक्ष में या “ना” पक्ष में अपना मौखिक मत दे चुके हों, उन्हें विभाजन होने पर विरुद्ध विचार वाले पक्ष के साथ मत देने की स्वतंत्रता न होगी ।”

“उप नियम-6: अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे ।”

“उप नियम-7: यदि सदन में विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद विभाजन सूचियों में कोई भूल दिखाई पड़े तो अध्यक्ष इस विषय में समाधान हो जाने पर ही कि भूल वास्तविक है उसे सुधारने का आदेश दे सकेंगे ।”

“उप नियम-8: अध्यक्ष सभा को विभाजित होने के लिए कहें, उससे पहले किसी समय किसी नकारात्मक आवाज के बिना दी गई सभा की अनुमति से विभाजन की मांग वापस ली जा सकेगी । ऐसा होने पर विभाजन न किया जायेगा और अध्यक्ष के जिस निर्णय पर आपत्ति की गई हो, वह बना रहेगा ।”

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 15 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव के संबंध में प्राप्त हुए हैं । जो प्रस्ताव है उसे मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूँ ।

<u>संख्या</u>	<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>अनुमोदनकर्ता का नाम</u>	<u>प्रस्ताव</u>
1.	श्री विजय कुमार चौधरी संविंस०	श्री श्रवण कुमार संविंस०	श्री नंद किशोर यादव, संविंस० के पक्ष में
2.	श्री विजय कुमार सिन्हा संविंस०	श्री हरीभूषण ठाकुर ‘बचोल’ संविंस०	श्री नंद किशोर यादव, संविंस० के पक्ष में ।

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 3. | श्री जनक सिंह
संविंस० | श्री पवन कुमार जायसवाल
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 4. | श्री रामप्रीत पासवान
संविंस० | श्री अशोक कुमार सिंह
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 5. | श्री विनोद नारायण झा
संविंस० | श्री राणा रणधीर
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 6. | श्री कृष्ण कुमार ऋषि
संविंस० | श्री पवन कुमार यादव
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 7. | श्री प्रमोद कुमार
संविंस० | श्री राम सिंह
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 8. | श्री संजय सरावगी
संविंस० | श्री अरूण शंकर प्रसाद
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 9. | श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव
संविंस० | श्री जय प्रकाश यादव
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 10. | श्री अनिल कुमार
संविंस० | श्री प्रणव कुमार
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 11. | श्री सुनील मणि तिवारी
संविंस० | श्री कृष्णनंदन पासवान
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 12. | श्री संजीव चौरसिया
संविंस० | श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 13. | श्री सुमित कुमार सिंह
संविंस० | श्री राम सूरत कुमार
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 14. | श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
संविंस० | श्री राम चन्द्र प्रसाद
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |
| 15. | श्री प्रेम कुमार
संविंस० | श्री राम नारायण मंडल
संविंस० | श्री नंद किशोर यादव,
संविंस० के पक्ष में । |

माननीय सदस्यगण, सभी प्रस्ताव नियमानुकूल हैं । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी जी का प्रस्ताव प्रथम है, इसलिए मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूँ । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“श्री नंद किशोर यादव, स0वि0स0 बिहार विधान सभा के अध्यक्ष चुने जायं ।”

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका अनुमोदन करता हूँ ।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“श्री नंद किशोर यादव, स0वि0स0 बिहार विधान सभा के अध्यक्ष चुने जायं ।”

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री नंद किशोर यादव, स0वि0स0 सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए ।

टर्न-2/हेमन्त/15.02.2024

उपाध्यक्ष : अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूँ कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें ।

(इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को आसन तक लाया गया एवं माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,...

(व्यवधान)

अभी तो शांत हो जाइये ।

माननीय सदस्यगण, आप सबों का बहुत-बहुत आभार ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप अध्यक्ष बने हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ और पहले भी जो अध्यक्ष थे उनको भी मैं नमन करता हूँ । आप सबको बधाई । सब लोग रहे हैं, जो भी रहे हैं, सब काम करते रहे हैं । आप भी पुराने लोग हैं । इतना पहले से मंत्री रहे हैं और सब काम किये हैं, अब फिर आपको मौका मिला है यहां पर आने का, तो बहुत खुशी की बात है और सबको प्रसन्नता है । दोनों पक्ष के लोगों ने आपको इस पद के लिए प्रस्तावित किया है । इसलिए आप सब की सहमति से हैं, आप खूब बढ़िया से काम कीजिएगा और आपसे यही अनुरोध

करेंगे कि सबकी बात सुनियेगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनियेगा और सब लोगों की बात पर ध्यान देते हुए काम करियेगा । यही मेरा अनुरोध है और हम तो जानते ही हैं कि आप सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, खूब अच्छा काम करियेगा । आज आपको जो अवसर मिला है, तो हमको बड़ी खुशी है और समूचे विपक्ष ने भी आपको समर्थन किया है, मैं विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको हमारे दल की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं । आगे इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे । आपका तो अनुभव काफी पुराना रहा है और मंत्री से लेकर आपने खूब समाज की आवाज उठाने का काम किया है, जनता की आवाज उठायी है उसका निदान किया है और आपके अध्यक्ष बनने से हमें काफी प्रसन्नता हो रही है । इसलिए सभी पक्ष और विपक्ष द्वारा आपको, सभी लोगों के सहयोग से आप आज यहां बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है । लेकिन हम साथ-साथ आपको यह भी भरोसा दिलाते हैं कि बिहार का जो विपक्ष है वह भी जनता के सवाल को लगातार उठाते रहेगा और हम सभी लोग निष्पक्ष ढंग से जनता के साथ खड़े रहेंगे और बिहार आगे बढ़े, उत्थान हो हम सब लोग मिलकर इसी दिशा में काम करें, यही हमारी अपेक्षा माननीय सदन के नेता से भी होगी और सभी मंत्रीगण का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उनसे भी होगी और विपक्ष के सभी दलों के जो नेता हैं यही हम कहेंगे कि ईमानदारी से, जो जमीनी बात है, जो हकीकत है उसको सदन के सामने लाइये और पूरा भरोसा अपने स्पीकर पर, अपने अध्यक्ष महोदय पर कीजिए, क्योंकि पक्ष-विपक्ष, यह आसन पर एक बार बैठ गये हैं तो सब बराबर हैं, कोई पार्टी की बात नहीं है । तो सबको देखकर, ख्याल रखकर काम आपको करना है और हम पूरा सहयोग सदन चलाने में, जो मदद हो सकेगी वह हम करने का प्रयास करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको लालू जी की तरफ से भी शुभकामनाएं ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष तौर पर बधाई देता हूँ । लंबा अनुभव आपके

पास है, सात बार से लगातार विधायक भी हैं और संगठन की भी जिम्मेदारी आपके पास रही है और आप इकलौते हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, जो दोनों, चाहे बिहार बंटा हो या बंटने के पहले, आप अध्यक्ष रहे हैं। यह आपके पास अनुभव रहा है संगठन का भी लंबे समय से और मंत्री के तौर पर भी सरकार में आपने अच्छा काम किया, बिहार की सड़कें अच्छी हुई। इसलिए विशेष तौर पर यह आग्रह भी करूंगा आपसे कि जिस तरह सभी लोगों ने आपसे आग्रह भी किया कि निष्पक्ष होकर सदन चले और आप तो गुरु गोविंद सिंह जी की धरती से आते हैं, जिन्होंने पूरा संदेश इस देश के लिए दिया है, सनातन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक का काम किया, तो हम तो यही विश्वास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृहमंत्री जी ने आप पर पूरा भरोसा जताया है। पार्टी चाहती है कि आप निष्पक्ष होकर बिहार विधान सभा का सत्र चलाने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा जी।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन ने सदन की गरिमा को बढ़ाते हुए सर्वसम्मति से आपमें विश्वास व्यक्त किया है और सभी गौरवान्वित हैं कि सात बार के एक अनुभव की बड़ी किताब है, जिनके पास संगठन का, प्रशासन का, शासन का पूरी दक्षता के साथ, पूरी निरपेक्षता के साथ आप निर्वहन करेंगे और बिहार, झारखंड दोनों का अनुभव आपके पास है। बिहार की जनता के, गांव-गलियों के दर्द को भी आपने देखा है और पूरे बिहार की भावनाओं से आप अवगत हैं। बिहार बदल रहा है, बिहार के बदलते स्वरूप और इस सदन में जनता का विश्वास लेकर जो माननीय विधायक आ रहे हैं उनकी आवाज को आप ताकत देंगे, उनको सकारात्मक वातावरण में ले जाने की एक बड़ी जिम्मेवारी है और आसन संरक्षक के रूप में पूरे सदन का शांति के साथ जनता के विकास के प्रति समर्पित भाव से कदम बढ़ायेगा, हमारी शुभकामना है कि यह ऐतिहासिक अवसर आपको मिला है और यह ऐतिहासिक बने। इसी कामना के साथ आपको बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को कि सदन की गरिमा बढ़ते रहे, विधायिका के सम्मान में कोई कमी न रहे। इसी के साथ पुनः धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी जी।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही, सदन नेता ने और नेता प्रतिपक्ष ने जो आपके संबंध में ख्याल व्यक्त किये हैं, मैं भी

उनके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता ने मुझे भी उस आसन पर काम करने का मौका दिया था और आपके अनुभव, आपकी समझबूझ और खासतौर से जो नियमों के संबंध में आपकी पैनी दृष्टि होती है उसका हमने उस आसन पर रहकर भी आपका सहारा और सहयोग लिया था और हम सदस्यों को बताना चाहते हैं कि मुझे खुशी है कि जो हमने नियमावली में कुछ नियम, जिनका पालन नहीं हो रहा था सदन में...

(क्रमशः)

टर्न-3/धिरेन्द्र/15.02.2024

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जो नियम समिति में आप ही की मदद से हमलोगों ने तीन दर्जन से भी ज्यादा संशोधन किये थे और उसमें आपकी अग्रणी भूमिका थी। इसलिए हमलोग तो, सब लोग आपके अनुभव, आपकी समझदारी के कायल हैं ही और आज एक नयी जिम्मेदारी ग्रहण कर रहे हैं उस आसन पर। उस आसन पर रहते हुए दोनों तरफ, पूरे सदन का विश्वास, एक-एक सदस्य का विश्वास आपको निभाना है। कभी-कभी यह काम चुनौती भरा होता है और उस आसन पर रह कर दुविधा की स्थिति भी उत्पन्न होती है लेकिन उस हालत में वहाँ आपके बगल में ही दो किताबें हमेशा पड़ी रहती हैं, शुरू से पड़ी रहती आयी है, अभी भी है और आगे भी रहेगी, वह है भारत का संविधान और इस सदन के लिए जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है। यही दो आँखें होती हैं जब किसी दुविधा की घड़ी में आसन की नजर को आगे बढ़ाती है। इसलिए हम समझते हैं कि पूरे सदन ने जब संपूर्ण विश्वास आपको देकर उस आसन पर लाया है, निश्चित रूप से आप सारे सदस्यों का ख्याल कीजियेगा। सरकार की भी बात होती है, विपक्ष की भी बात होती है। जहाँ तक सरकार की बात है हम बराबर कहते हैं कि विपक्ष से कोई प्रश्न पूछते हैं वे सरकार की कमियों को दर्शाते हैं तो सरकार उसको सहयोग मानती है। हम भी अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है और आप वहाँ हैं हम सब लोग आशान्वित हैं और आपको पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, नेता और समूचे सदन की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं पूर्ण शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न सिर्फ कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता से बल्कि आप पूरे सदन के लिए संतोषजनक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी।

उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष जी, आज सर्वसम्मति से आपका चुनाव हुआ इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तथा आशा और उम्मीद करता हूँ कि सदन की गरिमा जो बिहार की संस्कृति है, बिहार की गरिमा है और पक्ष-विपक्ष चूँकि अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष का आसन कस्टोडियन होता है पक्ष और विपक्ष का । मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो संवैधानिक या पार्लियामेंटरीयन ज्ञान है, इतने दिनों से जनता की सेवा किये हैं, इतने दिनों से सदन में आपको जनता ने भेजने का काम किया है, इसका जो अनुभव है पूरे बिहार को मिलेगा और सदन को मिलेगा और जो पक्ष-विपक्ष हैं उनको मान-सम्मान देने का काम कीजियेगा । मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से 12 तारीख को सरकार का मतदान के द्वारा विश्वास प्रस्ताव आया था तो लगता था कि पूरे भारत में, यहाँ बिहार के लोगों की सिर्फ मीडिया पर नजर थी कि क्या होगा, नहीं होगा लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हाँ पक्ष के लोगों को भी और ना पक्ष के लोगों को भी कि किस तरह से एक ऐतिहासिक बिहार की गरिमा को पूरे देश में बढ़ाने का काम किया । इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ सभी माननीय सदस्यों को और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आदरणीय नन्द किशोर बाबू की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही में पक्ष और विपक्ष सभी को सम्मान मिलेगा और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ शुभकामना सहित मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । जय हिन्द, जय भारत ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पूरे सदन की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आज बहुत सुखद पल है कि हमलोग सब मिलकर आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पर चुने हैं और हमलोग यही मानेंगे कि आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में जो भी फैसला हो वह निष्पक्ष हो और आप सभी को देखकर, जैसे अभिभावक के तौर पर हमलोगों को लेकर चले हैं और आपका यह जो प्यार है यह हमलोगों पर बरसता रहे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खाँ जी ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, निरपेक्ष आसन पर आसीन होने के लिए माननीय अध्यक्ष जी आपको बहुत-बहुत बधाई, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं । हमारे दल के कुछ सदस्य कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं सब की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं । देशभर में एक चर्चा चलती है सनातन शब्द का प्रयोग किया जाता है । सनातन शब्द का ही उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः ...

अध्यक्ष : सर्वे सन्तु निरामया ।

श्री अजय कुमार सिंह : जी । तो यह उद्घोष है सनातन का । जब राजा राम अयोध्या के राज-काज पर आते हैं तो वे अपनी प्रजा से कहते हैं कि इस आसन पर बैठकर अगर मेरे से कुछ अनीत हो जाने की बात होती है तो हे प्रजागण मुझे बरज देना। तो यह निरपेक्ष शासन उसी का प्रतीक है कि जो भी कुछ अनीत बातें, चाहे वह पक्ष से हो या विपक्ष से हो इसको बरजने का काम आपके जिम्मे है तथा आप पक्ष या विपक्ष दोनों के कस्टोडियन हैं । जनता का काम पक्ष से भी होना है, विपक्ष से भी होना है, जनता का काम कैसे हो इसका पूरा-पूरा ख्याल आप रखेंगे ऐसा भरोसा और विश्वास मुझे है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमलोगों ने अध्यक्ष पद का चुनाव किया, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर आपको आसन ग्रहण कराये इसी उम्मीद को लेकर और यह सदन इसी के लिए है । यह सदन सर्वसम्मति दिया, आसन सदा निष्पक्ष रहा है, निष्पक्ष रहेगा । हम इस उम्मीद के लिए बहुत-बहुत बधाई देते हैं और यह उम्मीद कर बधाई देता हूँ कि आगे यह निष्पक्षता बनी रहेगी । किसी के प्रभाव में आने की जरूरत आसन को नहीं पड़ेगी । यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको इस गरिमामय सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बधाई देता हूँ पक्ष और विपक्ष के दोनों माननीय सदस्यों को कि जो आपकी कार्यक्षमता है, आपके अनुभव को देखते हुए सर्वसम्मति से आपको निर्वाचित करने का निर्णय लिया । इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं । महोदय, आपके लिए कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है, आपको हम देख रहे हैं चूंकि वर्ष 1980 से ही आज तक इस सदन का मेंबर रहने का मुझे मौका मिला है और इस बीच में आपको हम सरकारी पद पर रहते हुए भी और गैर-सरकारी पद पर रहते हुए भी काम करते देखे हैं और जिस तरह से हास्यमय और तर्कपूर्ण बात आप करते हैं हम समझते हैं कि ये जो दिन हमलोगों का आने वाला है वह विधान सभा के लिए सुनहरा दिन होगा, ऐसा मैं प्रतीत करता हूँ ।

(क्रमशः)

टर्न-4/संगीता/15.02.2024

श्री जीतन राम मांझी (क्रमशः) : महोदय, प्रेमचंद की एक बात याद आती है, हालांकि वह कहने की जरूरत नहीं थी लेकिन तो भी प्रसंगवश मैं कहता हूँ कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है यानी सब अपने नियम-परिनियम और जो हमारे कायदे-कानून हैं उसके अनुसार काम होना चाहिए । इसीलिए हम नहीं समझते हैं कि उसके प्रतिकूल कोई जाएगा ऐसा विश्वास आपसे नहीं है । फिर एक बात और आ जाती है रामायण की, जबकि बहुत लोग तो रामायण को दूसरे रूप में समझते हैं लेकिन उसमें कहा गया है कि :

“मुखिया मुख सों चाहिए, खान-पान को एक,
पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ।”

जहां ये विवेक आती है तो हम नहीं समझते हैं कि आपको यह बात समझाने की जरूरत है । आप खुद मर्मज्ञ हैं, सारी बात को समझते हैं, हम उम्मीद करते हैं खासकर के एक चीज जो अनुभव मैंने किया है कि जो छोटे दल होते हैं, आपके साथ कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं जब समय का बंटवारा करते हैं लेकिन वहां पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और पार्टी के महत्व को समझकर भी समय देना चाहिए, नहीं तो होता है एक मिनट, आधा मिनट । इससे बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिससे यह गरिमामय सदन कुछ बातों से महरुम हो जाती है । तो वैसी परिस्थिति में हम आपसे आशा करेंगे कि आप विषय की गंभीरता को देखते हुए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए समय का जरूर निर्धारण करेंगे । इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके उज्ज्वल भविष्य और ठीक ढंग से इस सदन की कार्यवाही चलेगी, इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको बहुत-बहुत बधाई । मैं पार्टी की ओर से और अपनी ओर से बधाई देता हूँ । आपकी कुर्सी जो है वह बीच में है, सत्ता और विपक्ष के बीच में है । एक आंख आपकी हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ और दूसरी आंख हमेशा आपकी विपक्ष की तरफ रहती है और इसीलिए बीच में कुर्सी है । आपके साथ बहुत कम ही समय काम करने का मौका मिला है, आंतरिक संसाधन कमिटी में । आपके काम को मैं देखा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसी हिसाब से, जो मैं आपको समझ पाया हूँ जरूर आप काम करेंगे ।

एक आपसे मेरी भी गुजारिश है और मैं हर बार जब अध्यक्ष चुने गए, संयोग से इस बार तो सदन में तीन बार, तो हर बार मैंने इस बात को रखा कि प्रश्न आवर जो होता है, क्वेश्चन-आंसर, वह जनता का समय होता है वह कैसे चले, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, लोगों की उम्मीद बढ़ी है, सरकार से जवाब चाहती है जनता और विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को सदन में रखना, तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी काबिलियत से जरूर उस महत्वपूर्ण समय को उपयोग में लाने की चेष्टा करेंगे और इसी के साथ मैं फिर से आपको बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान जी । नहीं हैं ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान जी । नहीं हैं ।

माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी । केवल आप कविता कहकर बंद कीजिए, भाषण नहीं देना है ।

श्री विनय बिहारी : जी अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दे रहा हूँ ।

“इंसान पुरजोर हैं आप, सुबह की भोर हैं आप,

मैं विनय बिहारी आपको नमन करता हूँ, सदन के नन्द किशोर हैं आप ।”

धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अवध विहारी चौधरी जी ।

श्री अवध विहारी चौधरी : आदरणीय बिहार विधान सभा के सर्वसम्मति से चुने गए इस विधान सभा के अध्यक्ष, आदरणीय श्री नन्द किशोर यादव जी और इस सदन के नेता जी, प्रतिपक्ष के नेता जी, आप सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुने गए हैं, यह एक बहुत ही खुशी का विषय है और सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता ने जो आपके प्रति भावना और विचार व्यक्त करने का काम किया, उस भावना के साथ मैं हूँ और आपको जानने और समझने का अवसर कोई नया नहीं, मैं बहुत दिनों से आपको देखते रहा हूँ और मैं भी उस आसन पर रह करके हमसे जितना बन पाया निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का काम किया और आज भी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि नियम-प्रक्रिया संविधान को देखते हुए सदन आपसे उम्मीद करता है कि निष्पक्षता और सबके साथ समान व्यवहार, माननीय सदस्यों के आप अभिभावक हैं, आप एकरूपता रखेंगे, यह भरोसा, आशा और विश्वास है । मैं अपनी तरफ से आपके स्वस्थ रहने, दीर्घायु आयु की कामना करता हूँ, पूर्ण विश्वास है कि सदन की कार्यवाही में सत्ता और

विपक्ष दोनों को समान रूप से काम करने और विचार व्यक्त करने का और अवसर आप प्रदान करेंगे। पुनः मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप निश्चित ही अपने अनुभव का प्रदर्शन इस सदन में सदन के संचालन में और माननीय विधायकों को मान-सम्मान देने में करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया है, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर विशेष रूप से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे०पी०नड्डा जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष, बिहार विधान सभा बनाए जाने पर अपनी सहमति दी और मुझे आसन पर बैठाया। मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने भी अध्यक्ष, बिहार विधान सभा चुने जाने में मेरा समर्थन किया और सर्वसम्मत चुनाव हेतु उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया, मुझे इस आसन पर बैठाया। वैसे मुझे इनके माता जी और पिता जी के साथ भी काम करने का इस सदन में मौका मिला है इसलिए आपका विशेष आभार। मैं सभी दलों के माननीय नेतागण एवं माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना है।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र सामूहिक न्याय निर्णय की एक पद्धति है। विधान सभा यानी विधायी निकाय उस पद्धति के नियामक हैं। संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष, विधान सभा इस संस्था के स्वामी नहीं होते हैं बल्कि वे सदस्यों के संरक्षक होते हैं। विधान सभा का पूरा कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत संपन्न की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-208 के तहत 21 दिसंबर, 1965 को इसी विधान सभा के द्वारा यह नियमावली एडॉप्ट की गई थी और 01 जनवरी, 1966 से यह लागू है। कालक्रम में इस नियमावली में कई संशोधन हुए और आज संविधान के दायरे में इसी नियमावली के आधार पर अध्यक्ष इस आसन पर बैठकर सभा का संचालन करते हैं। सच पूछिए तो यह नियमावली हम सबके लिए गीता के समान है। आप जानते ही हैं कि मुझे या इस आसन पर बैठने वाले किसी भी सदस्य को इस नियमावली के अनुकूल ही अपने को सीमित रखना अनिवार्य होता है। हम सब लोग किसी न

किसी दल से जुड़े हैं। मैं भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, मैं वर्ष 1995 से इस सदन का सदस्य हूँ। सातवीं बार इस सभा का सदस्य बना हूँ। हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है और जनता के हितों को साधने का एक उपक्रम होता है परन्तु, अध्यक्ष के आसन पर बैठा व्यक्ति दल से या दलीय राजनीति से ऊपर उठकर पूरी निष्पक्षता और निष्ठा से सदन के संचालन के कार्यों का निष्पादन करता है। मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसी नियमावली के तहत कार्य करूँगा और संसदीय परंपराओं का निर्वहन भी करूँगा साथ-ही माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों और उनकी मान-मर्यादा का भी ध्यान रखूँगा।

(क्रमशः)

टर्न-5/सुरज/15.02.2024

अध्यक्ष (क्रमशः): आप सब लोगों ने 12 फरवरी, 2024 को जिस धैर्य और संयम से बिहार विधान सभा की कार्यवाही को संपन्न किया, यह एक मिसाल है। सदन में विषय भी आते हैं, उत्तेजना भी होती है, पक्ष और विपक्ष के दावे और प्रतिदावे होते हैं परन्तु उनका हल सिर्फ विमर्श से ही निपटाया जाता है। आसन का तो यह काम ही है कि अभिव्यक्ति के सारे दरवाजे खोले। मैं जानता हूँ कि यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं सभी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज इस सदन में उठाते हैं। राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ माननीय सदस्यों के क्षेत्र के भी कई हित जुड़े होते हैं जिनकी वे नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे सभी मसलों को सदन में उठाने का, उन पर विमर्श करने का, सरकार से उनका हल जानने का अधिकार आप सभी माननीय सदस्यों को है। लेकिन सभी मसलों को सदन के समक्ष कैसे लाया जाय, इसके लिये जो विधान है वह हमारी नियमावली में अंकित है। इसमें अंकित नियम के माध्यम से आप अपनी बात सदन के समक्ष रखेंगे तो सरकार विवश होगी आपके उन सवालों का उत्तर देने के लिये। इसलिये मैं आप सबों से आग्रह करूँगा कि सदन में आप हमेशा नियमावली के तहत ही अपनी बात को उठायें।

एक बात मैं जरूर कहूँगा सड़क का संघर्ष और सदन का विमर्श दोनों अलग-अलग चीज है। आपको अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश, अपने लोग, उनके साथ होने वाले अन्याय इन सभी मुद्दों को उठाने का और उनका हल निकालने का उपक्रम करना आपकी जिम्मेवारी है। मैं सरकार का मंत्री भी रहा हूँ, मैं नेता विरोधी दल भी रहा हूँ, मैं एक माननीय सदस्य के रूप में भी यहां 10 साल रहा हूँ, बिहार विधान सभा की समितियों का सभापति भी रहा हूँ।

मैंने सब चीजों को बड़े गौर से देखा है और मुझे लगता है कि केवल चार लोग इस सदन में हैं जो इधर-उधर और यहाँ बैठे हैं, तीनों जगह उसमें अवध बिहारी चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी हैं और विजय सिन्हा जी हैं । बाकी लोगों को तीनों स्थान पर बैठने का अवसर नहीं मिला है लेकिन मेरा जो अनुभव है विशेष करके जो हमारे नये माननीय सदस्य हैं, पहली बार या दूसरी बार जीतकर आये हैं उनके लिये । मुझे लगता है कि थोड़ा हमें अध्ययन भी करना चाहिये, पढ़ना भी चाहिये । पढ़ने का मतलब यह नहीं कि केवल किताब पढ़ना चाहिये । अध्ययन का मेरा अर्थ यह है कि सबको उन समस्याओं एवं उनके निवारण के लिये सरकार की नीतियों का भी अध्ययन करना चाहिये । उन नीतियों के अनुपालन में जो अवरोध है उस अवरोध को कैसे नियम और कानून से दूर किया जाय इसके लिये कैसे नये कानून बनाये जायें, कैसे नये नियम बनाये जायें इसका भी अध्ययन करना चाहिये ताकि हम जनता के हितों को अधिक-से-अधिक साध सकते हैं ।

इस आसन की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई है तो वह है तटस्थता और वह है निष्पक्षता । मैं अंतिम प्रयास करूंगा कि इसका अनुपालन करूं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पक्ष हो या विपक्ष किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा । यह मेरे लिये तो गर्व का क्षण है परंतु साथ ही यह न्यायपूर्ण सेवा की चुनौती भी है । इस आसन का पदनाम बड़ा विचित्र है । इस आसन का पदनाम स्पीकर है लेकिन उसको कम बोलना है, नहीं बोलना है, बोलना आपको है लेकिन स्पीकर मैं हूं । फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी आवाज बनूं। यह सदन इस बात का गवाह है कि विमर्श के दौरान कभी-कभी तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हुई है । मैंने देखा है 28-29 साल में, तो कभी शेरों-शायरी और हंसी-मजाक का भी दौर चला है । सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सदन की कार्यवाही चले यह केवल अध्यक्ष की नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है और आज जिस माहौल में आप बैठे हैं, जिस माहौल में आप चर्चा कर रहे हैं तो मुझे दो पंक्ति याद आ रही है उस पंक्ति को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा :

“कल हम न होंगे न गिला होगा
सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा
जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें
जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा ।”

फिर से एक बार आप सबका पुनः हार्दिक आभार । भारत माता की जय।

माननीय सदस्यगण, अब सभा की बैठक, सोमवार दिनांक-19 फरवरी, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।